भारत संघ एवं अन्य

बनाम

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, बम्बई

8 मार्च, 1995

[जे. एस. वर्मा, एस. पी. भरुचा और के. एस. परीपूरनन, न्यायाधिपतिगण]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962/सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमः

धारा 14 (1) (बी)/नियम 8 - विदेशी सहयोग समझौता -पोर्ट किये गये पैक का मूल्य चालानमें दिखाया गया- क्या यह टीआर मूल्य को दर्शाता है- सहयोग समझौते केतहत किये गये एकमुश्त भुगतान को ध्यान में रखते हुये, आयातित पैक का मूल्य 14 (1) (बी) के प्रावधानो को लागू करते हुये बढाया गया है - अभिनिर्धारित, अमान्य और अनुचित।

प्रतिवादी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल वाहनों के निर्माण में व्यवसाय कर रही है। ओर उसने अपने द्वारा निर्मित डीजल इंजनके संबंध में एक फ्रैंच कंपनी के साथ दस वर्षो के लिये तकनीकी ज्ञान समझौता कियाहै। समझौते के रूप में, प्रतिवादी ने तीन किश्तो में राशि भेज दी। प्रतिवादी ने 1982 से और इससे आगे उक्त फ्रांसीसी से सीकेडी पैक और सेवा घटको का आयात किया। सहायक

कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद ने विचार किया िक समझौते के तहत भुगतान की गई एकमुश्त राशि में सीकेडी कॉम्प की आपूर्तिकेसंबंध में तय की जाने वाली कीमत का तत्व शामिल होगा और उत्पाद के लियेरॉयल्टी का एक तत्व भी शामिल होगा, यह माना गया कि सीकेडी का चालान मूल्य चालान में निर्धारित भाग माल की बिक्री के लिये एकमात्र विचारणीय नहीं है। सीमा शुल्क मूलयांकन नियमो के प्रावधानो धारा 14 (1) (बी) सपठित नियम 8 का उपयोग करते हुये, उन्होने कहा कि आयातित पैक्स का मूल्य 1.5 प्रतिशत बढाया जाना चाहिये। यह सीमा शुल्क कलेक्टर (अपील) द्वारा किया गया था।

प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। जिस न्यायाधीश के समक्ष इसे इसे सूचीबद्ध किया गया था, उन्होने प्रतिवादी से वसूले गये उत्पाद शुल्क की वापसी के आदेश को रदद कर दिया। अपील पर खंडपीठ ने आदेश की पुष्टि की।

इस न्यायालय में अपील में, भारत संघ ने तर्क दिया कि चालान में उल्लिखित मूल्य एकमात्र विचार नहीं था; और यह कि कीमत समझौते के तहत प्रतिवादी द्वारा विदेशी सहयोगी को भुगतान की गई 15 मियन फ्रैंच फ्रैंक्स की एकमुश्त राशि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिये थी और उस आधार पर धारा 14 (1) (ए) को बाहर रखा गया और धारा 14 (1) (बी) का सहारा लिया गया।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि 15 मिलियन फ्रेंच फ्रैक्स के एकमुश्त भुगतान के बीच किसी सांठगांठ या संबंध को इंगित करने के लिये और प्रतिवादीगण को सी. के. डी. पैक की आपूर्ति के लिये कोई सामग्री नहीं थी कि; कि यह नहीं कहा जा सकता है कि चालान में तय की गई कीमत बाद में प्राप्त माल की कीमत नहीं है और बहुत पहले किए गए एकमुश्त भुगतान में गणना या प्रतिबिंबित की गई थी; और यह कि पक्षों ने स्पेयर पार्ट्स की प्रकृति और विस्तार को कभी भी ध्यान में नहीं रखा था, जिनकी बाद में आवश्यकता हो सकती है, जब सहयोग समझौता किया गया था।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. दोनों पक्षकारो के बीच हुआ सहयोग समझौता स्पष्ट है और राजस्व के लिये यह खुला नहीं है कि वह इसमें कुछ ऐसा पढकर अलग अर्थ लगाये जो वहां नहीं है। [609 - ए]

2. मामले में दिखाई देने वाले महत्वपूर्ण पहलू यह हैं कि पक्षकार एक दूसरे से पूरी बनाकर काम कर रहे थे; कि विक्रेता और क्रेता को एकदूसरे के व्यवसाय में कोई रूचि नहीं है; आमतौर पर , मशीन की तकनीकी जानकारी उसकी 'असेंबली' में ले जा सकती है, कि सी. के. डी. पैक और पुर्जों की आपूर्ति सहयोगी द्वारा प्रतिवादीगणो को रियायती कीमत पर नहीं की गई थी, बल्कि उस कीमत पर की गई थी जिस पर वे दूसरों को बेचे गए थे; कि, जैसा कि प्रतिवादीगणो द्वारा सहमति व्यक्त

की गई थी, विकल्प पूरी तरह से प्रतिवादीगणो के पास था कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुर्जों को ऑर्डर करें; कि सी. के. डी. पैक और पुर्जों की आपूर्ति से बहुत पहले प्रतिवादीगणो पर सी. के. डी. पैक खरीदने का कोई दायित्व नहीं था, सहयोगियों को रॉयल्टी का भुगतान किया गया था; और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। दूसरे शब्दों में, तकनीकी जानकारी के लिए समझौते के तहत एकमुश्त भुगतान और सीकेडी पैक या स्पेयर की आपूर्ति के लिये कीमत के निर्धारण के बीच कोई संबंध नहीं था यह उपरोक्त पहलुओं को उजागर करके है कि एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने सही निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम की धारा 14 (1) (बी) और सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 8 का सहारा लेना स्पष्ट रूप से गलत और अस्थिर था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तर्क और निष्कर्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और वैध है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [608 - बी-एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 1886 (एन. एम.)/1993

डब्ल्यू. पी. सं. 3167 /1986 में ए.नं. 237/1987 में बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 7/8.3.91 से ।

सॉलिसिटर जनरल डी. पी. गुप्ता, के. स्वामी, वी. के. वर्मा और पी. परमेश्वरन, अपीलार्थियों के ओर से।

अतुल सीतलवाड़, डी. श्रॉफ, रविंदर नारायण, सुश्री पुनिता सिंह और सुश्री सोनू भटनागर, प्रतिवादीगणो के लिए।

न्यायालय का निर्णय परिपूर्णन न्यायाधिपति, द्वारा दिया गया था। भारत संघ, सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे और सीमा शुल्क सहायक कलेक्टर, विशेष मूल्यांकन शाखा, बॉम्बे इस अपील में अपीलकर्ता हैं। मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, बॉम्बे प्रतिवादीगण हैं। यह मामला सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आता है। प्रत्यर्थियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 3167 /1986 दायर की और सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 20.9.1985 के आदेश को चुनौती दी, जिसका सबूत प्रदर्श - के द्वारा दिया गया है और सीमा शुल्क कलेक्टर (अपील्स) द्वारा पारित दिनांक 2.9.1986 का अपीलीय आदेश, जो उक्त आदेश की पुष्टि करता है, प्रदर्श- एम द्वारा प्रमाणित है। एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 27.7.1988 के निर्णय द्वारा उपरोक्त आदेशों को रद्द कर दिया और प्रतिवादीगणो द्वारा प्रस्तुत विवरणों को सत्यापित करने के बाद जून, 1984 के बाद की अवधि के दौरान प्रतिवादीगणो से बरामद उत्पाद शुल्क की वापसी का भी आदेश दिया। अपीलकर्ताओं ने बंबई उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष अपील

संख्या 237 /1987 दायर की। खंड पीठ ने दिनांक 7 और 8 मार्च, 1991 के निर्णय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निर्णय की पुष्टि की । इस न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने एस. एल. पी. (सिविल) 3203/1993 में इस न्यायालय का रुख किया और इस न्यायालय ने दिनांक 19.4.1993 के आदेश द्वारा अपीलार्थियों को निम्नलिखित शर्तों में अनुमति प्रदान कीः

"विद्वान सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि वह उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं देते हैं क्योंकि यह इस सवाल पर निष्कर्ष से संबंधित है कि विक्रेता और खरीदार को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं है, लेकिन उसने दूसरे प्रश्न पर निर्णय को चुनौती दी जो इस प्रश्न से संबंधित है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 (1) (ए) में बिक्री या बिक्री के प्रस्ताव के लिए कीमत एकमात्र विचारणीय है।

अनुमति प्रदान की गई ।"

2. हमने श्री दीपांकर पी. गुप्ता, सॉलिसिटर जनरल जो अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित हुये और श्री अतुल सीतलवाड़, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए, को सुना। प्रतिवादीगण एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल वाहनों के निर्माण में व्यवसाय करती है। उनके कारखाने बॉम्बे, इगतपुरी और नासिक में स्थित

हैं। उन्होंने मैसर्स ऑटोमोबाइल प्यूज़ो, एक फ्रांसीसी कंपनी, प्यूज़ो द्वारा निर्मित और आई. डी. पी. 4.9 के रूप में ज्ञात डीजल इंजन के संबंध में एक तकनीकी ज्ञान समझौता किया। मूल समझौता दिनांक 6.11.1979, प्रदर्श बी है। (पेपर बुक का पृष्ठ 98-109), और पूरक समझौता दिनांक 6.3.1980 (पेपर बुक के पृष्ठ 112-114) है।

3. समझौते की अवधि समझौते पर भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए थी। प्रतिवादीगणो ने पेरिस में विदेशी सहयोगी को तीन किश्तों में 15 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक की राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। यह सामान्य आधार है कि प्रतिवादीगणो ने प्यूज़ो को इस तरह से सहमत राशि को 27.5.1980, 15.4.1981 और 18.9.1981 को तीन किश्तों में प्रेषित किया, जिसकी राशि रु. 95,27,448 , रु. 84,17568 और रु. 81,83,058 , क्रमशः थी। समझौते में अनुच्छेद एफ सी. के. डी. पैक और सेवा भागों की आपूर्ति के विषय से संबंधित है। प्रतिवादीगणो ने वर्ष 1982 के बाद से प्यूज़ो के लिए सीकेडी पैक और सेवा घटकों का आयात किया । जून, 1984 में, सीमा शुल्क मूल्यांकन समूह ने आयातित क्रैंकशाफ्ट की खेप के मूल्यांकन के सवाल को सीमा शुल्क विभाग की विशेष मूल्यांकन शाखा को भेजा। सहायक कलेक्टर, कंपनी को सुनने के बाद, दिनांक 20.9.1985 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादीगणो को किए गए

एकमुश्त भुगतान में से मेसर्स प्यूज़ो को 15 प्रतिशत का श्रेय डिज़ाइन, पेटेंट और व्यापार चिह्नों और उन परिस्थितियों को जाता है जिनके तहत सी. के. डी. पैक का आयात किया जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 (1) (बी) सपठित सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1963 के नियम 8 के तहत वारंट मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन से पहले अधिनियम की धारा 14 (ए) को बाहर करता है। उन्होंने यह विचार रखा कि समग्र समझौता 5 वर्षों के लिए घटकों के सी. के. डी. पैक की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है, और यह स्पष्ट है कि चालान मूल्य में निर्धारित सी. के. डी. पैक की कीमत समझौते के तहत किए गए एकमुश्त भुगतान को समझौते को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। दूसरे शब्दों में, समझौते के तहत प्रतिवादीगणो द्वारा भुगतान की गई एकमुश्त राशि में समझौते के तहत सीकेडी पैक घटकों की आपूर्ति के संबंध में तय की जाने वाली कीमत का एक तत्व शामिल था, और एकमुश्त राशि में उत्पादों के लिए रॉयल्टी के भुगतान का एक तत्व भी शामिल होना चाहिए। अंत में, उन्होंने कहा कि चालान में निर्धारित सी. के. डी. पुर्जों का चालान मूल्य माल की बिक्री के लिए एकमात्र विचार नहीं है और सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम बी सपठित धारा 14 (1) (बी) के प्रावधानों की सहायता के लिए, उन्होंने कहा कि आयातित पैक के मूल्य में डेढ़ प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इसकी सीमा शुल्क कलेक्टर (अपील) द्वारा दिनांक 2.9.1986

के आदेश द्वारा पुष्टि की गई। इसके बाद प्रत्यर्थियों-कंपनी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका संख्या 317 /1987 दायर की और उपरोक्त आदेशों को सफलतापूर्वक चुनौती दी।

4. इस अपील में उठाए गए विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और प्रतिवादी और विदेशी सहयोगी के बीच निष्पादित मुख्य समझौते दिनांक 6.11.1979 और पूरक समझौते दिनांक 6.3.1980 में निहित महत्वपूर्ण शब्दों को उद्धृत करना उपयोगी होगा, वकील द्वारा जोर दिया गया :

" एक तरफ ऑटोमोबाईल्स प्यूजो, 75 एवेन्यू डे ला ग्रांडे आर्म, पेरिस फ्रांस (इसके बाद 'प्यूजो' के रूप में संदर्भित), और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, बॉम्बे- 400039, भारत (इसके बाद यह 'एम एंड एम ' के रूप में संदर्भित), के बीच आज 6.11.1979 को समझौता हुआ। दूसरी तरफ, जबकि एम एंड एम आंतरिक दहन इंजन से सुसज्जित विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों के निर्माण में लगी हुई है

और जबकि एम एंड एम उक्त वाहनो में नवीनतम तकनीक के आधार पर निर्मित इंजन लगाकर उनकी उपयोगिता मे सुधार करने की इच्छुक है:

और जबकि प्यूजो ने मोटर वाहनोके निर्माण के व्यवसायो में लंबे अनुभव और व्यापक ओर निरंतर अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप एक्सडीपी 4.90 नामित इंजन के निर्माण में डिजाइन और तकनीकी ज्ञान विकसित या हासिल किया है (जिसे इसके बाद इंजन के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसकी पहचान यहां संलगन प्रदर्श ए में की गई है और डिजाइन, इंजीनियरिंग, तकनीकी से युक्त और अन्य सभी औद्योगिक संपत्ति और इंजन से संबंधित अन्य सभी अधिकार है।

और जबकि एम एंड एम, मोटर वाहनो के निर्माता के रूप में अपने व्यवसाय को आगे बढाने के उद्देश्य से, इंजन का निमा्रण, संयोजन और उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है और प्यूजो के तकनीकी ज्ञान का उपयोग करना चाहता है और समझौते की अवधि के दौरान प्यूजो से निरंतर तकनीकी सहायता भी प्राप्त करना चाहता है।

और जबकि प्यूजो अपना तकनीकी ज्ञान का उपयोग करने और इसके बाद प्रदान किये गये तरीके से इंजन के निर्माण और संयोजन में एम एंड एम की सहायता करने को तैयार है;

इसलिये प्यूजो और और एम. एंड एम. के बीच निम्नानुसार सहमति बनी हैः

ए-प्यूजो इंजन प्रौद्योगिकी की आपूर्ति

1. इस समझौते की प्रभावी तिथि के बाद जितनी जल्दी संभव हो प्यूजो एम एंड एम को संपूर्ण तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा जिसमें विनिर्देश, चित्र, डिजाइन, डिजाइन डेटा और गणना, तकनीक, सुविधाये, व्यापार रहस्य ओर पक्रियायें और विनिर्माण नियंत्रण प्रक्रियाए और विधियां, जो कि इंजन के निर्माण में प्यूजो द्वारा उपयोग की जाने वाली (इसके बाद प्यूजो इंजन प्रौद्योगिकी के रूप में संदर्भित), शामिल होगी। ताकि भारत में एम एंड एम द्वारा इंजन के निर्माण को सक्षम बनाया जा सके और इस उद्देश्य के लिए, एम एंड एम को दो प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी, जिनमें से एक प्यूजो इंजन प्रौद्योगिकी के सभी दस्तावेजों की ट्रेसिंग और/या फिल्मों के रूप में निम्न प्रकार से होंगी :

XXX XXX

4. इसमें उल्लिखित प्यूजो इंजन प्रौद्योगिकी ऐसी होगी जो एम. एंड एम. को भारत में सौ प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ इंजन का निर्माण करने में उतरोत्तर सक्षम बनाएगी।

5. इसमें संदर्भित प्यूजो इंजन प्रौद्योगिकी को प्यूजो द्वारा एम. एंड एम. को, या इसके नामित प्रतिनिधियो को पेरिस में वितरित किया जायेगा, या, उनके अनुरोध पर, पेरिस में एम. एंड एम. को मेल किया जायेगा।

6. प्यूजो भारत में इंजन के निर्माण, संयोजन और बिक्री के लिये आवश्यक प्यूजो इंजन प्रौद्योगिकी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत या उपलब्ध नहीं करायेगा।

XXX XXX

बी- विनिर्माण, संयोजन और बिक्री का अधिकार -

XXX XXX

(बी) प्यूजो द्वारा वितरित और/या स्थानीय स्तर पर निर्मित या भारतीय आपूर्तिकर्ताओ द्वारा आपूर्ति किये गये भागो, घटको और अन्य तत्वो से इंजन को भारत में संयोजित करना ;

XXX XXX

सी-संशोधन, गुणवत्ता, औद्योगिक संपत्ति, गोपनीयता

1. इस समझौते की प्रभावी तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि के दौरान

XXX XXX

(i) एम एंड एम इंजन के निर्माण और संयोजन से जुडे सभी कार्यो का निरीक्षण करने के लिये प्यूजो के प्रतिनिधि को सभी उचित समय पर एम एंड एम के परिसर में प्रवेश की अनुमति देगा।

4. (ए) प्यूजो स्पष्ट रूप से इंजन और प्यूजो इंजन प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी औदयोगिक संपत्ति अधिकारो जैसे प्रक्रियाओ और विनिर्माण रहस्यो के साथ साथ लाईसेंस, पेटेंअ, व्यापार चिन्ह और ब्रांड नाम पर अपना स्वामित्व और अपना विशेष कब्जा यथावत रखता है;

(बी) इस समझौते के उद्देश्यों के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए, प्यूजो स्पष्ट रूप से एम. एंड एम. को इंजन या किसी भी हिस्से से संबंधित लागू पेटेंट, व्यापार चिन्ह, पंजीकृत डिजाइन और इंजन या किसी भी भाग, घटकों या अन्य तत्वों से संबंधित डिजाइन कॉपीराइट सहित सभी उक्त औद्योगिक संपत्ति अधिकारो का भारत में उपयोग करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है।

XXX XXX

(ई) प्यूजो एतद्द्वारा एम. एंड एम. को भारत संघ में और भारत के बाहर इस समझौते द्वारा विचार किए गए व्यापार चिह्नों और आवेदनों का उपयोग करने का अधिकार देता है, प्यूजो के समझौते के अधीन एम. एंड एम. द्वारा निर्मित या खरीदे जाने वाले इंजन, सभी भागो, सहायक उपकरण, घटको और उसके अन्य तत्वो और इस उद्देश्य के लिए प्यूजो और एम. एंड एम. ऐसे आवेदन, शपथ पत्र, घोषणाएं, समझौते और अन्य कागजात निष्पादित कराएंगे जो इस समझौते द्वारा बनाए गए सभी प्यूजो के भारतीय व्यापार चिह्नों के पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में भारत में

एम. एंड एम. के उचित इस्तीफे को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो सकते हैं।

5.(ए) जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, इस समझौते की प्रभावी तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि के दौरान, एम एंड एम इस समझौते के तहत निर्मित, एकत्रित और बेचे जाने वाले सभी इंजनों और भागों पर लागू होगा, ट्रेडमार्क इंडेनोर, समान आयामों में और समान वर्णों और प्रतीकों के साथ जो मूल इंजनों और भागों द्वारा फ्रैंक में ले जाए जाते हैं। प्रत्येक इंजन पर एक स्पष्ट प्रतीक चिन्ह होगा जिस पर "प्यूजो डीजल इंजन, एम. एंड एम. द्वारा निर्मित इंडनर" लिखा होगा।

XXX XXX

डी - प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता

XXX XXX

ई - पेमेंट

1. इस समझौते के अनुसार प्यूजो इंजन प्रौद्योगिकी के उपयोग प्रदान करने के लिये एम. एंड एम. पेरिस में प्यूजो को पंद्रह मिलियन (15,000,000) फ्रेंच फ्रैंक की राशि का भुगतान निम्नानुसार करेगा :

ए) इस समझौते की प्रभावी तिथि पर पांच मिलियन (5,00,000) फ्रेंच फ्रैंक;

बी) प्यूजो इंजन प्रौद्योगिकी की आपूर्ति की तिथि पर पांच मिलियन (5,00,000) फ्रेंच फ्रैंक या इस समझौते की प्रभावी तिथि से नौ (9) महीने की अवधि के भीतर, जो जो भी पहले हो;

(सी) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर पांच मिलियन (5,00,000) फ्रेंच फ्रैंक;

XXX XXX

एफ - सी. के. डी. पैक और सेवा भागों की आपूर्ति

1. इस समझौते की प्रभावी तिथि से पाँच (5) वर्षों की अवधि के दौरान, प्यूजो ने एम एंड एम द्वारा अपेक्षित कच्चे या तैयार अवस्था में सीकेडी पैक की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की और इंजन के उत्पादन के लिये प्यूजो द्वारा सहमति व्यक्त की गई। ऐसे पैक वर्तमान प्यूजो डिजाईन के अनुसार होने चाहिये। प्यूजो एम एंड एम द्वारा आवश्यक ऐसे सेवाभागो की आपूर्ति करने के लिये भी सहमत है।

2. सी. के. डी. के रूप में एक पूर्ण इंजन की कीमत दुनिया के अन्य हिस्सो में सीकेडी फॉर्म में निर्यात किये गये इंजन की प्यूजो की पूर्व कार्य कीमत होगी और समय समय पर प्यूजो द्वारा एम एंड एम को अधिसूचित और एम एंड एम द्वारा सहमति के अनुसार होगी।

3. प्यूजो एम एंड एम के साथ सहमत विनिर्देशो के अनुसार इंजनके लिये सामग्री का एक बिल तैयार करेगा जिसमें अलग अलग भाग संख्यायें दर्शाई जायेंगी।

ऐसे प्रत्येक हिस्से की लागत प्रतिशत के रूप में या सीकेडी फॉर्म में पूर्ण इंजन मूल्य के रूप में व्यक्त की जायेगी जैसा कि यहां उपर खंड एघ्फ 2 में परिभाषित किया गया है ताकि उक्त सभी प्रतिशतो का कुल योग एक सौ (100) हो। सामग्री के ऐसे बिल को पारस्परिक सहमति के अनुसार समय समय पर आवश्यक रूप से संशोधित किया जायेगा। सामग्री के ऐसे बिल से खरीदी जाने वाली वस्तुओ के चयन में एम एंड एम के पास पूर्ण विवेकाधिकार होगा, बशर्ते कि प्यूजो को पहले से ही पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा और प्यूजो के उत्पादन कार्यक्रम और नियंत्रण आवश्यकताओ को ध्यान में रखा जायेगा, और आगे यह भी प्रदान किया जायेगा कि समकक्ष स्थानीय वस्तु पहले प्यूजो के गुणवत्ता विनिर्देशो को पूरा कर चुकी है।

XXX XXX

जी - प्रचार और एजेंसी के किसी भी अनुमान को नकारना

XXX XXX

एच - समझौते की अवधि - समाप्ति

XXX XXX

आई - विविध खंड

XXX XXX

8. यह समझौता एक एकल समझौता है जो अविभाज्य और अविभक्तनीय है। किसी भी तरह के प्रदर्शन से इंकार या विफलता और उसके किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से का उल्लंघन, जब तक कि पक्षकारअन्यथा सहमत न हो, दूसरे को पहले से ही अर्जित अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस पूरे समझौते को समाप्त करने का अधिकार देगी।

पक्षकारो के बीच दिनांक 6.3.1980 का पूरक समझौता इस प्रकार प्रदान किया गया :

"पूरक समझौता मार्च 1980 के 6 वें दिन एक तरफ ऑटोमोबाइल्स प्यूजो 75 एवेन्यू डी ला ग्रैंडले आर्मी, पेरिस 16ई, फ्रांस (इसके बाद प्यूजो के रूप में संदर्भित) और दूसरी तरफ महिंदा एंड महिंदा लिमिटेड, गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, बॉम्बे 400 039, भारत (इसके बाद एम एंड एम के रूप में संदर्भित), के बीच हुआ।

जबकि प्यूजो और एम. एंड एम. ने प्यूजो एक्स डीपी 4.90 डीजल इंजन के भरत में निर्माण के लिये 6.11.1979 को एक समझौता किया है (इसके बाद इसे मुख्य समझौते के रूप में संदर्भित किया गया है):

और जबकि भारत सरकार ने मुख्य समझौते में संशोधन में कुछ सुझाव दिये है:

इसलिए, प्यूजो और एम. एंड एम. के बीच इस प्रकार सहमति बनी है कि:

XXX XXX

4. मुख्य समझौते के खंड सी. 5 (ए) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा -

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, इस समझौते की प्रभावी तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि के दौरान एम एंड एम समझौते के तहत निर्मित और संयोजित और बेचे जाने वाले सभी इंजनो और उनके हिस्सो पर 'प्यूजो तकनीक के साथ एम ओर एम द्वारा निर्मित' का अंकन लागू करेगा।

XXX XXX

अब हम प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को निर्धारित करेंगे। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 (1) (ए) और (बी) निम्नलिखित प्रभाव वाली हैं:

"14. (1) सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975, या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रयोजन के लिए जिसके तहत किसी भी सामान पर उसके मूल्य के संदर्भ में सीमा शुल्क लगाया जाता हे, ऐसे सामान का मूल्य होना समझा जायेगा -

(ए) वह कीमत जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान, जैसा भी मामला हो, आयात या निर्यात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिये ऐसे या समान सामान आमतौर पर बेचे जाते है, या बिक्री के लिये पेश किये जाते है, जहां विक्रेता और खरीदार की एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं है और बिक्री या बिक्री कीपेशकश के लिये कीमत ही एकमात्र विचार है:

बशर्ते कि ऐसी कीमत की गणना उस तारीख को लागू विनिमय दर के संदर्भ में की जाएगी जिस दिन धारा 46 के तहत प्रविष्टि बिल या शिपिंग बिल या निर्यात बिल या जैसा भी मामला हो धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(बी) जहां ऐसी कीमत का पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां इसके निकटतम पता लगाने योग्य समतुल्य का निर्धारण इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है।

5. हमारे सामने विद्वान महान्यायवादी के तर्को का मुख्य जोर यह था कि विदेशी सहयोगी द्वारा प्रतिवादीगणो को सीकेडी पैक की बिक्री की कीमत सही कीमत नहीं है। दूसरे शब्दो में सहायक कलेक्टर द्वारा अपने आदेशमें बताये गये विभिन्न कारणो से, चालान में निर्धारित या उल्लिखित कीमत सीकेडी पैक की बिक्री के लिये एकमात्र विचार नहीं थी। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, चालान में उल्लिखित (या की जानी चाहिए थी) कीमत 15 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक (लगभग 3 करोड रूपये) को ध्यान में रखते हुये समझौते के तहत विदेशी सहयोगी को प्रतिवादीगणो द्वारा भुगतान की गई थी । यह इस आधार पर है कि धारा 14 (1) (ए) को बाहर रखा गया था और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 (1) (बी) का सहारा राजस्व द्वारा उचित ठहराया गया था। उपरोक्त निवेदन की सराहना करते समय हमें कुछ बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। प्रतिवादीगणो और विदेशी सहयोगी के बीच सौदेबाजी का प्रमाण लिखित समझौता दिनांक 6.11.1979 और 6.3.1980 से मिलता है। न तो कोई सामग्री है और न ही यह सुझाव दिया गया है कि पक्षों के बीच सौदे ज्यादा अलग नहीं है। यह दिखाने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि सहयोगी को रॉयल्टी

के भुगतान ने सीकेडी पैक, पुर्जों और घटकों की कीमत के लिए किसी भी अतिरिक्त वाणिज्यिक दायित्व को प्रेरित किया। आम तौर पर न्यायालय को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि स्पष्ट समझौतों की अवधि वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आरोप लगाने और यह साबित करने के लिए राजस्व के लिए खुला है कि स्पष्ट रूप से वास्तविक नहीं है और सी. के. डी. पैक की बिक्री के लिए कीमत सही कीमत नहीं है, और कीमत 15 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक की राशि में सहयोग समझौते के तहत किए गए एकमुश्त भुगतान की गणना या ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई थी। संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या राजस्व यह दिखाने में सफल रहा है कि प्रत्यक्ष वास्तविक नहीं है और चालान में दिखाई गई कीमत वास्तविक बिक्री मूल्य को नहीं दर्शाती है और इसलिए अधिनियम की धारा 14 (1) (बी) को उचित रूप से लागू किया गया था।

6. विद्वान महान्यायवादी द्वारा कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला गया यह साबित करने के लिये कि चालान में उल्लिखित सी. के. डी. पैक की कीमत वास्तविक कीमत नहीं है, निम्न प्रकार से : दिनांक 6.11.1979 सहयोग समझौता एक अविभाज्य और समग्र है। समझौते को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इंजन के संयोजन के लिए प्रौद्योगिकी आवश्यक है और समझौते में शामिल है। प्रौद्योगिकी की कीमत 'संयोजन करने के लिए' वास्तव में सौदे का एक हिस्सा है और समग्र समझौते में शामिल है।

विदेशी सहयोगी जिसने इंजन से संबंधित औद्योगिक संपत्ति के अधिकारों को बनाए रखा, उसने विशेष रूप से प्रतिवादीगणो को भारत में इसका उपयोग करने की अनुमति दी और इसके लिए विचार भी शामिल है; लेकिन इसके लिए, प्रतिवादीगण संपत्ति और सी. के. डी. पैक की आपूर्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते हैं औरप्रतिवादीगणो के लिए सेवा भाग सौदे द्वारा कवर किए गए पहलुओं में से केवल एक था, और समझौतों के अनुसार भुगतान की गई स्पष्ट रूप से बड़ी राशि (विचार करना दिखाया) केवल भविष्य में सी. के. डी. पैक और सेवा भागों की आपूर्ति की गणना करके अदा की जा सकती थी। इन परिस्थितियों में, समझौते में उल्लिखित विचार में कम से कम आंशिक रूप से सी. के. डी. पैक और पुर्जों की कीमत शामिल होनी चाहिए, जिनकी आपूर्ति बाद में की जा सकती है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। इसमें उत्पाद की रॉयल्टी के भुगतान का एक तत्व भी शामिल हो सकता है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी श्री सीतलवाड़ के वकील ने निम्नलिखित पर जोर दियाः उच्च न्यायालय ने सतवर्ती रूप से पायाहै कि प्रत्यर्थी और विदेशी सहयोगी की एक दूसरे के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं थी और उक्त निष्कर्ष इस अपील में विशेष रूप से उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध नहीं है जिनके तहत इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति दी गई थी। सी. के. डी. पैक और पुर्जों की आपूर्ति विदेशी सहयोगियो द्वारा

प्रतिवादीगणो को उसी कीमत पर की गई थी जिस पर वे दूसरो को बेचे गये थे और समझौतों में प्रतिवादीगा-खरीददारों को कोई रियायत नहीं दी गई थी। दूसरे शब्दों में, सी. के. डी. पैक और पुर्जों और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विदेशी सहयोगी द्वारा ली गई कीमत एक समान है। समझौतों के तहत भुगतान 1981 तक किए गए थे, और सी. के. डी. पैक और पुर्जों का आयात बाद में 1982 में शुरू हुआ। इसके केवल दो साल बाद, पहली बार 12.6.1984 को, सीमा शुल्क अधिकारियों ने प्रतिवादी को सूचित किया कि वे चालान मूल्य को लोड करेंगे। अंत में, माल के आयात के तीन साल से अधिक समय के बाद, सामान को मनमाने ढंग से और बिना किसी आधार के डेढ़ प्रतिशत पर लोड किया गया। प्रत्येक मशीन (वर्तमान मामले में, इंजन) की तकनीकी जानकारी में 'असेंबली' शामिल होगी और सहयोग समझौते में कुछ भी असामान्य नहीं है जो इंजन के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी की आपूर्ति का प्रावधान करता है। वास्तव में, मुख्य समझौते का खंड ए (4) "भारत में 100% स्वदेशी सामग्री वाले इंजन के निर्माण के लिए" का प्रावधान करता है। इसके अलावा, खंड एफ 1-3 के तहत, प्रतिवादीगणो के पास सी. के. डी. पैक और पुर्जों आदि सहित सामग्री के पूरे या किसी भी हिस्से को आयात करने का विकल्प निहित है। 15 मिलियन फ्रेंच फ़्रैंक के एकमुश्त भुगतान और इंजन के उत्पादन के लिए प्यूज़ो द्वारा प्रतिवादीगणो को सी. के. डी. पैक

की आपूर्ति के बीच किसी भी सांठगांठ या संबंध को इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। राजस्व द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि चालान में निर्धारित मूल्य सही या वास्तविक मूल्य नहीं है, या दूसरे शब्दों में, स्पष्ट वास्तविक नहीं है। किसी भी अर्थ में, यह नहीं कहा जा सकता है कि बाद में प्राप्त माल की कीमत बहुत पहले किये गये एकमुश्त भुगतान में शामिल या प्रतिबिंबित की गई थी। पक्षकारोने कभी भी उन स्पेयर पार्ट्स की प्रकृति और विस्तार को कभी ध्यान में नहीं रखा, जिसकी बाद में आवश्यकता हो सकती है, जब सहयोग समझौता प्रवेश किया गया था। जो निष्कर्ष निकालने का सुझाव दिया गया है वह मनमाना और तदर्थ है और इसका कोई आधार नहीं है।

8. सहयोग समझौतो और संबंधित परिस्थितियो में प्रासंगिक खंडों के मूल्यांकन पर, हमारा विचार है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के समवर्ती निर्णय इस अपील में हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। मामले में दिखाई देने वाले महत्वपूर्ण पहलू यह हैं कि पक्षकार एक दूसरे से दूरी बनाकर काम कर रहे थे , कि विक्रेता और खरीददार को एक दूसरे के व्यवसाय में कोई यचि नहींहै, कि, आमतौर पर , मशीन की तकनीकी जानकारी असेंबली में, कि सहयोगी द्वारा प्रतिवादीगणो को सीकेडी पैक और स्पेयर की आपूर्ति रियायती कीमत पर नहीं बल्कि उस कीमत पर की गई थी जिस पर वे दूसरो को बेचे गये थे, कि जैसा कि प्रतिवादीगणो द्वारा सहमति दी गई है

विकल्प पूरी तरह से उनके पास था, प्रतिवादीगणो को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पुर्जो का आदेश देना होगा, कि प्रतिवादीगणो पर सीकेडी पैक खरीदने की कोई बाध्यता नहीं थी, कि सीकेडी पैक और स्पेयर की आपूर्ति से बहुत पहले, सहयोगियो को देय रॉयल्टी का भुगतान किया गया था, कि यह दिखाने के लिये कोई सामग्री नहीं है कि सीकेडी पैक या स्पेयर की आपूर्ति सहयोग समझौते के तहत भुगतान तय करने में पक्षकारो के साथ हुई लेकिन दूसरी ओर, तकनीकी जानकारी और सीकेडी पैक और स्पेयर की आपूर्ति के लिये सहयोग समझौता हुआ और सीकेडी पैक और पुर्जो की आपूर्ति स्वतंत्र वाणिज्यिक लेनदेन है; दूसरे शब्दो में तकनीकी जानकारी के लिये समझौते के तहत एक मुख्य भुगतान और सीकेडी पैक या स्पेयरकी आपूर्ति के लिये कीमत के निर्धारणके बीच कोई संबंध नहीं था। उपरोक्त पहलुओपर प्रकाश डालते हुये विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यह तर्क कि महिंद्रा एंड महिंद्रा (प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत चालान में उद्धृत मूल्य सही कीमत सही कीमत को नहीं दर्शाता है क्योंकि मूल्य का एक हिस्सा आयातित पैक और घटको का आयात पहले से ही विदेशीसहयोगी द्वारा प्राप्त किया गया था, जबकि 15 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक्स के विचार को निर्णित करते हुये स्वीकार नहीं किया जा सकता है ", और" सहयोग समझौता दावे का समर्थन नहीं करता है और न ही इस तरह के निष्कर्ष को वारंट करने के

लियसहायककलेक्टर के पास कोई सामग्री उपलब्ध थी और, इसलिये, अधिनियम की धारा 14 (1) (ख) सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 8 का सहारा लेना स्पष्ट रूप से गलत और टिकाउ नहीं है और सहायक कलेक्टर इस उददेश्य के लिये चालान में उल्लिखित सीमा शुल्क मूल्य के आकलन को स्वीकार करने के लिये बाध्य था।

9. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के तर्क और निष्कर्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और वैध हैं। सहयोग समझौता जो पक्षकारान के मध्य क्रियान्वित हुआ, स्पष्ट है और इसमें कुछ ऐसा पढ़ने से राजस्व के लिए अलग तरह से खुला नहीं है जो वहां नहीं है। परिणाम में, हम यह अभिनिर्धारित करते है कि जिस निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है वह हस्तक्षेप के योग्य नहीं है और यह अपील खारिज किये जाने योग्य है और एतदद्वारा मय खर्चा खारिज की जाती है, जिसे हम 10 हजार रूपये की तादाद पर निर्धारित करते है।

अपील खारिज की गई।

जीएन.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।